

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या 41/22 राज0 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 (RCMS No.2022/43)

दीन मौहम्मद उर्फ दीनू पुत्र इस्माइल जाति गेव निवासी तुरौनी (वांदन की)
तहसील व थाना पुन्हाना जिला नूँह गेवात (हरियाणा)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (ए0पी0पी0) भरतपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 8.3.2022 जिला कलक्टर भरतपुर व मुकदमा प्रार्थना पत्र संख्या 61/2021 उनवान दीन मौहम्मद उर्फ दीनू बनाम राज0 सरकार प्रार्थनापत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन बोलेरो गैवरी ट्रक ऑपन बॉडी आर जे 10 जीवी 1164 व मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 381/2021 अपराध धारा 5/8 पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर अंतर्गत आरबीएक्ट राजस्थान गौवंशीय पशु वध अधिनियम 1995.

उपस्थिति :-

1. श्री दिलीप कुमार वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णय

दिनांक: 16.5.2022

यह अपील राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यानिर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 8.3.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने एक सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का वाहन महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा बोलेरो गैवरी ट्रक ओपन बॉडी आरजे 10 जीवी 1164 जरिये मुख्त्यारनामा मालिक है। पुलिस थाना पहाडी द्वारा उक्त वाहन को झूठे केस एफआईआर 381/21 धारा 5/8 आरबी एक्ट गौवंश का अवैध परिवहन के अपराध में फंसाया गया है तथा जब्त वाहन थाना पर खुले में खड़ा हुआ है जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना है। पुलिस थाना को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी को अपने जीवन यापन के लिए वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे अपीलान्ट की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर



तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलार्थीन आदेश दिनांक 8.3.2021 पारित करते हुये जप्त गौवंश में संलिप्त जब्तशुदा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है ।

इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम श्रवण क्षेत्राधिकार पर सुना जाना व्याघोचित पाते है । जिहाजा वकील अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की सुनवाई क्षेत्राधिकार पर बहस सुनी गई ।

सहायक लोक अभियोजक द्वारा राजस्थान राजपत्र में विधि (निष्ठागी प्रारूपण) विभाग (सुप-2) जयपुर दिनांक 27 नवम्बर 2019 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 की प्रतिलिपि पेश करते हुये न्यायालय हाजा को इस प्रकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये उक्त अधिनियम के बिन्दु संख्या 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये स्पष्ट किया कि " जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभियोग किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, लयन या निर्गमित के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी ।....." इस प्रकरण में न्यायालय हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा को इस प्रकरण के श्रवण क्षेत्राधिकार होने के संबंध में कोई सन्तोषजनक जबाब पेश नहीं किया गया और ना ही सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त अधिसूचना के विरुद्ध कोई उजदासी पेश की गई ।

हमने सभ्यपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर गनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलार्थीन आदेश दिनांक 8.3.2022 पारित करते हुये जप्त गौवंश में संलिप्त जब्तशुदा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज कर दिया । इसके विरुद्ध न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई है किन्तु न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने से पूर्व अदालत हाजा को श्रवणाधिकार के बिन्दु को सर्वप्रथम निस्तारित किया जाना है । इस संदर्भ में सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत विधि (निष्ठागी प्रारूपण) विभाग (सुप-2) जयपुर दिनांक 27 नवम्बर 2019 को जारी राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो चुका है कि न्यायालय हाजा को इस प्रकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं है । उक्त अधिनियम के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट किया कि " जब कभी भी उप-धारा (1) में


15-11-2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर



निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।.....” इस प्रकार उक्त अधिनियम के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में अदालत हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलान्त सक्षम अदालत में अपील करने हेतु स्वतन्त्र रहते है।

निर्णय आज दिनांक 16.5.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।




(सांवरमल वर्मा)
संभागीय आडुषत
भरतपुर संभाग, भरतपुर